(5)

न्यायालय अ0क0उ0जि0/परगनाधिकारी, बाँदा

वाद संख्या । धारा 143 ज0वि0अ0

मौजा महुरकापुरवा परगना व जिला बाँदा

बाँदा एजूकेशन सेन्टर बनाम सरकार

निर्णय

कार्यकारी प्रबन्धक बाँदा एजूकेशन सेन्टर, छोटी बाजार बाँदा ने बाँदा एजूकेशन सेन्टर के नाम से क्रय भूमि के बैनामा की छायाप्रतियाँ संलग्न करते हुये आ0नि0 का भूमि प्रयोग परिवर्तन की अनुमति के सम्बंध में प्रार्थनापत्र दिनाँकित 19-9-2001 प्रस्तुत करते हुये उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि प्रयोग परिवर्तन किये जाने की प्रार्थना की है।

उक्त के सम्बंध में तहसील से जाँच कराई गई। ना0तह0की जाँच आख्या दिनाँक 26-11-2001 पत्रावली पर संलग्न है। ना0तह0ने अपनी आख्या में अवगत कराया है कि मौजा महुरकापुरवा परगना व जिला बाँदा के अन्तर्गत गाटा सं0 3174 रकबा 0-13-0, 3176/0-13-0, 3177मि0/0-18-0, 3178/0-11-0, 3181/1-8-0, 3210/1-5-0, 3211/2-5-0, 3212/1-8-0, 3213/2रकबा0-11-0, 3214/0-17-0, 3216/0-11-0, 3220/2-3-0, 3228/1-17-0, 3219/0-10-0, 3226/3-2-0 व 3203/0-15-0कुल 16 किता रकबा 19-7-0का बैनामा दिनाँक 18-9-01 को बाँदा एजूकेशन सेन्टर कालवन गंज छोटी बाजार शहर बाँदा के नाम श्रीमती किशवती निगम द्वारा व गाटा सं0 3221/0-12-0, 3222/0-11-0, 3225/5रकबा 0-19-0 व 3270/0-13-0कुल 4 किता रकबा 3-10-0 व गाटा सं0 3223/2-4-0, 3224/1-9-0कुल दो किता रकबा 3-13-0का 1/2भाग व गाटा सं0 3269/2-11-0 का 3/5भाग यानि 1-10-12 अर्थात कुल रकबा6-17-2 का बैनामा दिनाँक 18-9-01 को बाँदा एजूकेशन सेन्टर के पक्ष में श्री गोविन्द बिहारी निगम पुत्र कालीचरन द्वारा किया गया तथा इसी प्रकार गाटा संख्या 2587 रकबा 0-12-0 का बैनामादिनाँक 18-9-01 को ही बाँदा एजूकेशन सेन्टर के पक्ष में श्री अशोककुमार निगम पुत्र कालीचरन द्वारा किया गया है। उक्त सभी नम्बरान व रकबा खतौनी में बाँदा एजूकेशन सेन्टर के नाम श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमि धर में अंकित है जिनके खाता सं0 74 व 361 वर्तमान खतौनी में है। ना0तह0 ने अपनी जाँच में यह भी उल्लिखित किया है, कि उक्त नम्बरानों के चारो ओर बाउन्ड्रीवाल पक्की बनी हुई है, मध्य में टीन शेड के तीन कमरे बने हुये हैं, उक्त भूमि बाँदा नरैनी रोड से लगी हुई है, उक्त भूमि से उत्तर लगा हुआ सरकारी बेयर हाउस है। ना0तह0 ने भूमि उपयोग परिवर्तन किये जाने की संस्तुति की है।

मुकदमा दर्ज कर पक्षों को तलब किया गया। बाँदा एजूकेशन सेन्टर की ओर से श्री गोविन्द बिहारी उपाध्यक्ष बाँदा एजूकेशन सेन्टर व अशा श्रीवास्तव, कार्यकारी प्रबन्धक बाँदा एजूकेशन सेन्टर के बयान कराये गये जिन्होंने आ0नि0 के 11000वर्गफुट पर एम0सी0ए0, 9360वर्ग फुट पर प्रशासनिक भवन, 11000वर्गफुट पर बी-टेक ब्लाक नम्बर एवं 9000 वर्गफुट पर वर्कशाप का निर्माण कार्य चल रहा होना बताया है तथा शेष भूमि का उपयोग अकृषिक कार्यों में किया जाना बताया है। गाँव सभा स्टेट की ओर से लेखपाल ने नजरी व नक्शा प्रस्तुत करते हुये कहा कि आ0नि0 में गाटा सं0 3203 रकबा 0-15-0 चिंहित एरिया से बाहर है, नजरी नक्शे में क्रास चिन्ह द्वारा निर्माणाधीन एरिया को प्रदर्शित किया गया है जो गाटा सं0 3221, 3220, 3222, 3211, 3212 व 3213 हैं, शेष नम्बर रिक्त हैं।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आ0नि0 जो बाँदा नरैनी रोड से लगी हुई है, को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा विद्यालय के निर्माण के उद्देश्य से बाँदा एजूकेशन सेन्टर द्वारा ली गई है जो वर्तमान खतौनी के खाता सं0 74, 361, 787, 522, 1293, 799, 1286 व 787 में श्रेणी 1-क बाँदा एजूकेशन सेन्टर बाँदा के नाम अंकित है जिसका कृषिक उपयोग नहीं किया जा रहा है बल्कि उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा विद्यालय के निर्माण के उद्देश्य को लेकर आ0नि0 के गाटा सं0 3221,

MANAGER College of Education Banda (U.P.)-210001

3220, 3222, 3211, 3212 व 3213 पर वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है शेष नम्बर इसी उपयोग के तहत अकृषिक प्रयोग में है परन्तु गाटा सं0 3203 रकबा 0-15-0 बाँदा एजुकेशन सेन्टर के चिन्हित एरिया से बाहर है जैसा कि नजरी नक्शा एवं लेखपाल आख्या से स्पष्ट है। अत: सि0 गाटा सं0 3203 रकबा 0-15-0 को छोड़कर भूमि प्रयोग परिवर्तन ज0वि0अ0 की धारा 143 के अन्तर्गत किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अत: ग्राम लड़ाकापुरवा परगना व जिला बाँदा की खतौनी 1408-1413 फ0 में बाँदा एजुकेशन सेन्टर बाँदा के नाम खाता सं0 787 में अंकित गाटा सं0 3174मि0 रकबा 0-13-0, 3176मि0/0-13-0, 3177/0-18-0, 3178/0-11-0, 3181/1-8-0, 3210/1-5-0, 3211/2-5-0, 3212/1-8-0, 3213/2रकबा0-11-0, 3214/0-17-0, 3216/0-11-0 कुल 12 किता रकबा 11-0-0 व खाता सं0 799 में अंकित गाटा सं0 3219 रकबा 0-10-0 व खाता सं0 522 में गाटा सं0 3220 रकबा 0-376हे0 व खाता सं0 1293 में गाटा सं0 3220मि0 रकबा 0-297हे0 व खाता सं0 1286 में गाटा सं0 3226 रकबा 0-543हे0 व खाता सं0 361 में गाटा सं0 3221/1-7-0, 3222/0-11-0, 3225/1रकबा 0-19-0, 3270/0-13-0कुल चार किता रकबा 3-10-0सम्पूर्ण व इसी खाता सं0 361 के गाटा सं0 3223/2-4-0, 3224 1-9-0 कुल दो किता रकबा 3-13-0 का 1/2भाग व इसी खाता सं0 361 के गाटा सं0 3269 रकबा 2-11-0 का 3/5भाग व खातासं0 74 में अंकित गाटा सं0 2587मि0 0-12-0 अभिलेखों में अंकित है। बाँदा एजुकेशन सेन्टर के उपाध्यक्ष श्री गोविन्द बिहारी व कार्यकारी प्रबन्धक श्री अरुण श्रीवास्तव के बयानों एवं ना0तह0 व लेखपाल रिपोर्ट व नजरी नक्शा आदि का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में आच्छादित भूमि का कृषि से भिन्न कार्यों के लिये उपयोग हो रहा है, जैसा कि जे0ए0 व एल0आर0एक्ट की धारा 143(1) के अन्तर्गत वांछित है। अत: तदनुसार इस आशय की घोषणा की जाती है कि बाँदा एजुकेशन सेन्टर के नाम अंकित उपर्युक्त भूमि का कृषि से भिन्न उपयोग हो रहा है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दा0द0हो।

दिनाँक 21-12-01

ह0/-
अ0क0प्र0अ0/परगनाधिकारी,
बाँदा

निर्णय आज खुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

दिनाँक 21-12-01

ह0/-
अ0क0प्र0अ0/परगनाधिकारी,
बाँदा

68
26-12-2001
12-12-2001
26-12-2001
26-12-2001

जाँच किया
मिलान किया

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार 26-12-2001

MANAGER
KCNIT College of Education
Naraini Road, Banda (U.P.) 210001